न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 243/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजूराम जाखड़
प्रधान कार्यालयः– प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली 110007
शाखा कार्यालयः– अजीतगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स सहारा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट जरिये प्रोपराईटर मनीष कुमार पुत्र मंगल चन्द मीणा, पताः–** अजीतगढ़, पुलिस थाने के सामने, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
2. **प्रभाती देवी पत्नी मंगलचंद मीणा, पताः–** अजीतगढ़, पुलिस थाने के सामने, वार्ड नं. 01, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 दिसम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री गिरधारी लाल लोमरोड़** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स सहारा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट जरिये प्रोपराईटर मनीष कुमार पुत्र मंगल चन्द मीणा** एवं **प्रभाती देवी पत्नी मंगलचंद मीणा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **प्रभाती देवी पत्नी मंगलचंद मीणा** के स्वामित्व की बंधक आवासीय अचल सम्पत्ति **मुख्य बाजार एरिया स्वाभिमान लाईब्रेरी, ग्राम थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान** में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 360 वर्गगज** है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रिछपाल हलवाई व राजू लोढ़ी के मकान के पास की गली, पश्चिम दिशा में सुवालाल के मकान के पास की गली, उत्तर दिशा में बसंतीलाल व मोठूराम चौधरी के मकान के पास की गली एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹25,00,000/–(अक्षरे रूपये पच्चीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.04.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स सहारा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट जरिये प्रोपराईटर मनीष कुमार पुत्र मंगल चन्द मीणा** एवं **प्रभाती देवी पत्नी मंगलचंद मीणा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **प्रभाती देवी पत्नी मंगलचंद मीणा** के स्वामित्व की बंधक आवासीय अचल सम्पत्ति **मुख्य बाजार**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

एरिया स्वाभिमान लाईब्रेरी, ग्राम थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 360 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रिछपाल हलवाई व राजू लोढ़ी के मकान के पास की गली, पश्चिम दिशा में सुवालाल के मकान के पास की गली, उत्तर दिशा में बसंतीलाल व मोठूराम चौधरी के मकान के पास की गली एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **15 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर